"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2004—पौष 3, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—अवकाश से लौटने के पश्चात् श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती छिब्बर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत राज्य

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

शासन, सचिव, राजस्व मंडल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक एफ 1-1/2004/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट क, ख एवं ग में दर्शाये गये निकायों में नियत मतदान क्रमश: दिनांक 14 दिसम्बर, वार मंगलवार एवं 17 दिसम्बर, वार शुक्रवार तथा 30 दिसम्बर, 2004 वार गुरुवार को केवल नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल ऊपर उल्लेखित संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881) 1881 का क्रमांक 26 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

परिशिष्ट-क

मतदान के प्रथम चरण (दिनांक 14-12-2004) में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	बिलासपुर	नगर निगम, बिलासपुर	55
		योग	55
2.	जांजगीर-चांपा	न.पा.प. चांपा	21
		न.पा.प. अकलतरा	18
		न. पं. नयाबाराद्वार	15
		न. पं. अड़भार	15
		योग	69
3.	कोरबा	नगर निगम कोरबा	58
		न. पा. प. दीपिका	18
		न. पं. कटघोरा	15
		योग	91

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कोरिया	नगर निगम, चिरमिरी	40
		न.पा.प. मनेन्द्रगढ़	21
		न. पं. बैकुण्ठपुर	15
		न. पं. शिवपुरचरचा	15
		न. पं. झगराखाड़	15
		योग	106
5.	सरगुजा	न. पं. रामानुजगंज	15
		न. पं. कुसमी	15
		न. पं. बलरामपुर	15
		न. पं. राजपुर	15
		न. पं. प्रतापपुर	15
		न. पं. वाड्रफनगर	15
		योग	90
6.	रायगढ़	न. पा. प. खरसिया	18
		न. पं. घरघोड़ा	15
		न. पं. सारंगढ़	15
		न. पं. धरमजयगढ़	15
		योग	63
7.	जशपुर	न. पा. प. जशपुर	18
		न. पं. पत्थलगांव	15
		योग	33
8.	रायपुर	न. पा. प. बीरगांव	30
		न. पा. प. तिल्दा-नेवरा	18
		न. पा. प. गोबरानवापारा	18
		न. पा. प. भाटापारा	27
		न. पा. प. बलौदाबाजार	18
		न. पं. आरंग	15
		न. पं. अभनपुर	15
		न. पं. राजिम	15
		न. पं. खरोरा	15
		न. पं. लवन	15
		न. पं. पलारी	15
		न. पं. भटगांव	15
		न. पं. कसडोल	15
		न. पं. सिमगा	15
		योग	246

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	महासमुंद	न. पा. प. महासमुन्द	24
		न. पं. पिथौरा	15
		न. पं. बसना	15
		योग	54
10.	धमतरी	न. पा. प. धमतरी	36
		न. पं. कुरूद	15
		योग	51
11.	दुर्ग	न. पा. नि. दुर्ग	58
		न. पा. प. बेमेतरा	18
		न. पा. प. कुम्हारी	24
		न. पं. धमधा	15
		न. पं. खम्हरिया	15
		न. पं. साजा	15
		न. पं. परपोड़ी	15
		न. पं. बेरला	15
		न. पं. अहिवारा	15
		न. पं. देवकर	15
		न. पं. नवागढ़	15
		योग	220
12.	राजनांदगांव	न. पा. प. डोंगरगढ़	21
		न. पं. अंबागढ़ चौकी	15
		न. पं. छुईखदान	15
		न. पं. गण्डई	15
		न. पं. खैरागढ़	15
		न. पं. डोंगरगांव	15
		योग	96
13.	कबीरधाम	न. पा. प. कवर्धा	21
		न. पं. पण्डरिया	15
		योग	36
14.	बस्तर	न. पा. प. कोण्डागांव	18
		न. पं. नारायणपुर	15
		न. पं. केशकाल	15
		योग	48

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	कांकेर	न. पा. प. कांकेर	18
		न. पं. भानुप्रतापपुर	15
		न. पं. चारामा	15
		योग	48
16.	दंतेवाड़ा	न. पा. प. किरन्दुल	18
		न. पा. प. बड़ी बचेली	18
		न. पं. सुकमा	15
		न. पं. दंतेवाड़ा	15
		न. पं. गीदम	15
		योग	81
		महायोग	1387

परिशिष्ट-ख

मतदान के द्वितीय चरण (दिनांक 17-12-2004) में सम्मिलित नगरीय निकाय :

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	बिलासपुर	न. पा. प. मुंगेली	21
		न. पं. बिल्हा	15
		न. पं. बोदरी	15
		न. पं. लोरमी	15
		न. पं. तखतपुर	15
		न. पं. गौरेला	15
		न. पं. पेण्ड्रा	15
		न. पं. रतनपुर	15
		न. पं. कोटा	15
		योग	141

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	जांजगीर-चांपा	न. पा. प. जांजगीर-नैला	21
		न. पा. प. सक्ती	18
		न. पं. बलौदा	15
		न. पं. खरौदा	15
		न. पं. शिवरीनारायण	15
		योग	84
3.	सरगुजा	न. पा. नि. अंबिकापुर	40
		न. पं. सूरजपुर	15
		न. पं. भटगांव	15
		न. पं. लखनपुर	15
		न. पं. सीतापुर	15
		न. पं. विश्रामपुर	15
		योग	115
4.	रायगढ़	न. पा. नि., रायगढ़	40
		योग	40
5.	रायपुर	नगर निगम, रायपुर	70
		योग	70
6.	महासमुन्द	न. पं. सरायपाली	15
		न. पं. बागबाहरा	15
		योग	30
7.	दुर्ग	न. पा. प. बालौद	18
		न. पा. प. दल्ली राजहरा	27
		न. पं. पाटन	15
		न. पं. गुण्डरदेही	15
		न. पं. गुरूर	15
		न. पं. डौंडी	15
		न. पं. डौण्डी-लोहारा	15
		योग	120
8.	राजनांदगांव	न. पा. नि. राजनांदगांव	45
		योग	45
		महायोग	645

परिशिष्ट-ग

मतदान के तृतीय चरण (दिनांक 30-12-2004) में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	बस्तर	नगर पालिक निगम, जगदलपुर	40
		योग	40

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/59/2004/1/2/लीव.—श्री अमीर अली, भा. प्र. से. को दिनांक 8-11-2004 से 16-11-2004 तक (9 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 7-11-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अली को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2/लीव.—श्री पी. जाय. उम्मेन, भा. प्र. से. को दिनांक 8-11-2004 से 19-11-2004 तक (12 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 एवं 22-11-2004 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2/लीव.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. को दिनांक 13-12-2004 से 24-12-2004 तक (12 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12 तथा 25, 26 दिसम्बर, 2004 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2/लीव.—श्री सुनील कुजूर, भा.प्र.से. को दिनांक 22-12-2004 से 7-1-2005 तक (17 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 जनवरी 2005 के शासकीय अवाकश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुजूर को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक/एफ-1-8/03/(6)52.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन एवं विकास के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :—

अ. बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ग्रामोद्योग मंत्री जी होंगे.

ब. बोर्ड के संचालक मण्डल में प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, संस्कृति विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग शासकीय सदस्य होंगे.

स. बोर्ड के संचालक मण्डल में हस्तशिल्प एवं समाज सेवा से जुड़े हुए शिल्पियों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा.

द. बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ही होंगे.

इ. वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को ही बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में समायोजित किया जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2005 का सूचना तथा कार्यक्रम

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक एफ-9-151/दो/गृह/04.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये उनके विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 24-1-2005 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-1-2005

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियों ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

मंगलवार, दिनांक 25-1-2005

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-सी.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए. (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

बुधवार, दिनांक 26 जनवरी, 2005 शासकीय अवकाश

बृहस्पतिवार, दिनांक 27-1-2005

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा, भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए.	
	शुक्रवार, दिनांक 28-1-2005	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शनिवार, दिनांक 29-1-2005	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति . कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की ''व्यवहारिक परीक्षा'' (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	रविवार दिनांक 30-1-2005 शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 31-1-2005	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54/98/दो-ए (3)दिनांक 19-3-99 एवं एफ-3-102/90/दो-ए (3) दिनांक 8-5-2001 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची में दर्शाये अनुसार)को दिनांक 8-12-2004 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1726/2758/16/मतदान/अवकाश/2004.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 20 (2) (क) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 (2) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार (नगर निगम, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) के आम निर्वाचन हेतु राज्य के सभी 16 जिलों (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रथम चरण में 14 दिसम्बर, 2004 के द्वितीय चरण में 17 दिसम्बर 2004 एवं जगदलपुर नगर निगम में 30 दिसम्बर 2004 को मतदान सम्पन्न होगा. राज्य शासन तत्संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 के अंतर्गत मतदान के दिन अवकाश घोषित करता है तथा ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान दिन के दो-दो घन्टे के अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

फा. क्रमांक 5143/3 (बी)/18/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 18, राज्य शासन, श्री नृत्यंजय सिंह पटेल, पिता श्री घनश्याम सिंह पटेल को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 5/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मोपका	12.56	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तोरवा	5.63	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 3/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	फदहा	15.39	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9079/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	ब्राम्हणभेडी प.ह.नं. 09	2.420	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के नांदिया एवं ब्राम्हणभेडी लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज् परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9080/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	गुंडरदेही प.ह.नं. 09	0.428	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के ब्राम्हणभेडी लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9081/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	हाथी कन्हार प.ह.नं. 07	1.423	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के कान्हें लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9082/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	केकतीटोला प.ह.नं. 07	1.762	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के केकतीटोला लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9083/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कुल्हाडी प.ह.नं. 62/86	1.843	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना , जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के नांदिया लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9084/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	कान्हें प.ह.नं. 12	2.213	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के कान्हें लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9085/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	तेलीटोला प.ह.नं. 09	1.925	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना , जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के ब्राम्हणभेडी लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9086/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोतीपुर प.ह.नं. 62	1.437	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना , जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के मोतीपुर लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9087/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	सांगली प.ह.नं. 09	1.899	कार्यालय अभियंता, मोंगरा परियोजना , जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के करियाटोला लघु नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9089/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	पोसवार प.ह.नं. 21	131.041	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9090/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	विचारपुर प.ह.नं. 23	31.039	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 8733/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	फरसपाल उर्फ बोदली	1.66	मेजर/कमान अधिक[illegible]ी, सीमा सड़क संगठन, कैंप कारली.	सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

दंतेवाड़ा, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 8735/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	फुण्डरी	1.32	मेजर/कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट हीरक, 108 आरसीसी कैंप कारली (गीदम).	सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अगस्त 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1227.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	डभराखुर्द प. ह. नं. 19	0.146	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 2 चांपा.	बिर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक 504 /भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	सपोस प. ह. नं. 15	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के चन्द्रपुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 533/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.13
10	0.16
16	0.02
18	0.04
62	0.06
85	0.06
87	0.05
1-40	0.06
13	0.43
14	0.07
59	0.15
15	0.05
60	0.10
58	0.16
29	0.13
19	0.68
21	0.16
90	0.49
22	0.40
23	0.07
39	0.09
24	1.38
25	0.08
26	0.02
27	0.03
28-38	0.11
30	0.20
31/1	0.04
31/2	0.10
35	0.07
54	0.05
55/3	0.05
68	0.17
61	0.43
65	0.28
63	0.34
64	0.12
82	0.89
86/1	0.24
86/2	0.07
86/3	0.08
91	0.49
92	0.31
93	0.07
137	0.19
138	0.17
139	0.19
36	0.07
37	0.32
88/1	0.12
88/2	0.12
67	0.03
86/4	0.08
योग 53	10.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 25/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-अमोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1004	0.02
	1005	0.01
	1006	0.03
	1007	0.01
	1012	0.01
	1016	0.05
योग		0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 27/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-बीजाभाठ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	776	0.04
	777	0.01
	778/1	0.14
	778/2	0.03
	779	0.03
	781	0.02
	780	0.17
	785	0.01
	786	0.02
योग		0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन अंतर्गत अमोरा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 28/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-जेवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
571/1	0.07
573	0.13
576	0.02
578/2	0.09
577	0.25
योग	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 29/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभाठ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
778/1	0.05
778/2	0.11
779	0.05
758	0.24
440	0.09
441	0.04
443	0.04
480/6	0.07
480/5	0.05
480/4	0.10
481	0.10
485	0.04
486	0.24
726	0.08
724	0.03
723	0.02
722	0.02
717	0.02
620	0.02
719	0.04
718	0.07
698/2	0.03
698/10	0.05
698/8	0.06
698/3	0.07
763/3	0.04
698/9	0.06
697/2	0.07
693	0.07
696	0.04
692	0.08
688	0.07
684	0.07
683	0.07
682/2	0.06
682/3	0.06
680	0.07
679	0.07
678	0.05
677	0.08
676	0.18
436/1,2,3,4	0.05
695	0.05
689	0.01
480/1	0.03
484/2	0.09

(1)	(2)
728/2	0.04
योग	3.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन अंतर्गत बीजाभाठ माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 26/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1127	0.04
1128	0.06
1147	0.05
1148/1	0.02
1148/2	0.08
1148/3	0.06
572	0.08
569	0.02
571/2	0.01
568	0.07
567	0.01
566	0.09
565/1	0.10
601	0.05
461	0.01
603	0.05
605	0.06
606	0.08
607	0.04
630	0.04
635	0.10
650	0.10
649	0.05
474/1	0.32
471	0.06
235	0.10
460	0.06
458	0.06
451	0.04
454	0.06
450	0.17
409/1	0.05
409/2	0.05
419	0.06
421	0.05
422	0.07
423	0.10
1554	0.04
571/1	0.05
571/3	0.09
647/1	0.07
647/2	0.05
647/3	0.05
602/1	0.04
602/2	0.01
602/3	0.11
योग	3.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत जेवरी एवं अमोरा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-गिधवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
395	0.03
397	0.02
427	0.02
432/1	0.08
434	0.06
442/2	0.02
394	0.04
399	0.12
447	0.06
490	0.03
546	0.12
558	0.02
398	0.04
435	0.03
437	0.07
436	0.01
445	0.01
446	0.03
475	0.01
448	0.01
474	0.02
476	0.01
489	0.03
547	0.01
554	0.02
555	0.05
557	0.02
559	0.04
560	0.02
योग	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरजादपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 19/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवासपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/3	0.275
2/2	0.109
3/1	0.129
4	0.138
57/1	0:223
57/5	0.109
61/4	0.385
61/1	0.385
74/2	0.138
73/1	0.081
73/2	0.081
76/3	0.045
76/2	0.049
77	0.109
79/1	0.150
102	0.109
79/3	0.049
79/4	0.081
141/22	0.053
94	0.109
141/18	0.024
104/1	0.089
141/13	0.069
95/1	0.020
141/14	0.036
96	0.206
97/2	0.077
101/1	0.073
101/3	0.040
107/2	0.065
106	0.012
योग 31	3.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यप. योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बाघामुड़ा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.150
65/1	0.121
105/1	0.210
70/1, 71	0.024
200	0.316
204	0.344
192/1	0.057
192/3	0.004
192/4	0.267
184/3	0.134
186/1	0.020
185/1	0.194
178/8	0.069
105/2	0.113
योग 14	2.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 22/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.016
9	0.065
10	0.028
11/2	0.028
18/2	0.101
12/2	0.028
17/1	0.085
11/3	0.049
18/4	0.036
16/3	0.069
11/1	0.061
14/7	0.057
14/4, 14/5	0.210
52/12	0.190
17/3	0.049
18/5	0.082
18/3	0.142
52/6	0.709
52/9	0.085
52/8	0.126
58/1	0.093
58/2	0.085
52/1	0.591
74	0.170
योग 24	3.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 24/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवासपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.943 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/18	0.417
23/5	0.121
23/4	0.162
23/14	0.142
23/13	0.101
योग 5	0.943

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 33/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.347 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10, 11	0.036
12/1	0.910
13	0.081
173/1, 174/2	0.696
184/1	0.121
174/1	0.105
182/1, 183/1	0.121
184/2	0.179
174/4	0.126
174/6	0.024
181/1, 185	0.109
182/3, 183/3	0.021
182/2, 183/2	0.021
178/3, 186/4	0.494
186/1	0.303
योग 15	3.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 34/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बुंदेली, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.903 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248/2	0.129
244	0.093
243	0.113
242/2	0.021
239	0.045
240/1	0.065
236	0.057
241	0.012
237/1	0.061
237/2	0.109
237/3	0.028
230/2	0.073
230/1	0.097
योग 13	0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 11 जून 2004

रा.प्र.क्र./21/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 7 सन् 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-ससकालो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.729 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387/12	0.807
402/6	0.052
397/128	0.188
397/133	0.290
397/126	0.203
397/127	0.189
योग	1.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 11 जून 2004

रा.प्र.क्र./24/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 7 सन् 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237	0.312
137	0.206
135	0.065
244/2	0.089
230	0.117
134/2	0.101
185	1.323
177	0.081
343/1	0.109
172/44	0.947
148/13	0.526
140/2	0.275
240	1.024
138	0.194
136	0.073
342	0.053
228	0.109
91	0.065
186	0.717
345	0.841
343/2	0.170
148/20	0.760
188	0.109
142	0.172
232/1	0.299

(1)	(2)
355	0.158
232/3	0.101
234	0.101
226	0.081
143/1	0.570
190	0.388
354	0.243
343/3	0.081
172/2	0.806
140/1	0.275
145	0.121
231	0.081
232/2	0.432
232/4	0.202
223	0.466
146/2	0.290
146/1	0.170
191	0.555
354/511	0.150
344	0.020
172/43	0.405
141	0.231
146	0.506
222	0.166
134/1	0.643
239	0.243
225	0.445
133	0.069
144	0.024
189/1	0.781
340	0.324
277/11	0.101
266	0.221
143/2	0.574
277/8	0.101
योग	18.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक 892/03/अ-82/00-01/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-पखांजूर

(ग) नगर/ग्राम-पी.व्ही. 31 (हरिहरपुर), प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157, 158	0.267
18	0.028
139	0.398
164/1	0.467
123	0.152
120, 263	0.124
269/1	0.193
285	0.056
328	0.223
140	0.063
137, 16	0.356
22	0.165
150	0.018
128	0.519
122, 277	0.275
119	0.121
281	0.014
286	0.041

(1)	(2)
331	0.470
23	0.058
99, 133	0.433
160	0.324
127	0.169
121	0.071
264	0.074
284/2	0.037
327	0.088
330/3	0.018
योग 33	5.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-लघु सिंचाई योजना हेतु केनाल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जून 2004

क्रमांक 177/क/भू-अर्जन/2/अ/82/वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-करही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.318 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1406, 1414, 1416	0.113
1407/1	0.077
1407/2	0.117
1408	0.016
1409/1	0.108
1409/2	0.032
1436/1	0.036
1436/2	0.065
1436/3	0.073
1436/4	0.065
1436/5	0.061
1436/6	0.069
1412	0.077
1413/1	0.012
1413/2	0.016
1435/1	0.081
1435/2	0.024
1417, 1418/2, 1419/2 } ख	0.061
1417, 1418/2, 1419/2, 1419/1 ख } ग	0.142
1422	0.057
1437	0.016
योग 21	1.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-शिवनाथ नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

क्रमांक 4/क/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-भाटापारा

(ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.131 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.537
1/7	0.163
1/8	0.173
1/10	0.258
योग 4	1.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रेल्वे हेतु तीसरी लाईन बिछाने बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

क्रमांक 5/अ/82/भू-अर्जन/ 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-भाटापारा

(ग) नगर/ग्राम-भाटापारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
79/1	0.265
79/3	0.125
80	0.067
81	0.053
82	0.025
72	0.006
83	0.072
84	0.040
85/2	0.114
85/3	0.066
86/2, 86/3	0.033
87	0.379
88	0.002
96	0.242
योग	1.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रेल्वे हेतु तीसरी लाईन बिछाने बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th December 2004

No. 123/I-7-3/2004 (Pt. II nd).— It is hereby notified that the following are the Vacation, Holidays for the Courts subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2005.

Summer Vacation :— Monday 16th May to Friday 10th June, 2005.

S. No.	Name of Holidays	No. of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the Week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	New Year Day	1	01-01-2005	Saturday
2.	Id-Ul-Zuha	1	21-01-2005	Friday
3.	Republic Day	1	26-01-2005	Wednesday
4.	Mahashivratri	1	08-03-2005	Tuesday
5.	Good Friday	1	25-03-2005	Friday
6.	Holi	1	26-03-2005	Saturday
7.	Ambedkar Jayanti	1	14-04-2005	Thursday
8.	Mahavir Jayanti/Milad-Un-Nabi	1	22-04-2005	Friday
9.	Budha Purnima	1	23-05-2005	Monday
10.	Independence Day	1	15-08-2005	Monday
11.	Raksha Bandhan	1	19-08-2005	Friday
12.	Janmashtami	1	26-08-2005	Friday
13.	Pitramoksha Amavasya	1	03-10-2005	Monday
14.	Dushera Holidays	5	10-10-2005 to 14-10-2005	Monday to Friday
15.	Deepawali & Id-Ul-Fitr Holidays	6	31-10-2005 to 05-11-2005	Monday to Saturday

NOTES :—

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays of every month falling on 8th January, 2005, 15th January, 2005, 12th February, 2005, 19th February, 2005, 12th March, 2005, 19th March, 2005, 9th April, 2005, 16th April, 2005, 14th May, 2005, 21st May, 2005, 11th June, 2005, 18th June, 2005, 9th July, 2005, 16th July, 2005, 13th August, 2005, 20th August, 2005, 10th September, 2005, 17th September, 2005, 8th October, 2005, 15th October, 2005, 12th November, 2005, 19th November, 2005, 10th December, 2005 and 17th December, 2005 shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. Moharram dated 20-02-2005, Ram Navami dated 17-04-2005, Gandhi Jayanti dated 02-10-2005, Guru Ghasidas Jayanti dated 18-12-2005 and Christmas dated 25-12-2005 fall on Sunday, therefore no Holidays is declared separately.

4. The Subordinate Courts shall remain closed from 16-05-2005 to 10-06-2005 on account of Summer Vacation but each Judge shall be entitled to avail of such vacation for a maximum period of 15 days only.

5. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. All the Judge and Staff of the Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2005.

7. The Subordinate Courts shall observe the local holidays as declared by the competent authority in respective Revenue Districts on account of local festivals of the District.

8. Subordinate Courts will observe the holidays declared suddenly by the State Government without approval of the High Court.

By the order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.